>

Title : Regarding judgement of Supreme Court in appointing faculties in AIIMS.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): महोदया, कांस्टीट्यूशन बेंच ने हिन्दुस्तान के 66 बरस के जो एक तरह से ...(व्यवधान) मामले थे, जाते हुए इन लोगों ने उठा दिया और संवैधानिक बेंच सारा दिन बैठी और इसने रिजर्वेशन में सी और डी को छोड़कर बाकी सबको स्कैप्र कर दिया है।...(व्यवधान) ये एक तरफ भूख का इलाज कर रहे हैं और दूसरी तरफ 80 फीसदी लोगों का मान-सम्मान और प्रतिष्ठा, जिसके लिए यह रिजर्वेशन मिला है, उसे समाप्त करने में लगे हैं।...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा हिन्दुस्तान में लगातार रिजर्वेशन पर हमला होता रहता है।...(व्यवधान) हम लोग कभी भी नहीं उठाते हैं, लेकिन हमेशा सुप्रीम कोर्ट किसी भी नाम पर,...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होने वाले थे, उन्होंने कांस्टीट्यूशन बेंच बना दी और सरकार के लोगों से हमने गुहार लगायी, लेकिन कोई बात नहीं बनी।...(व्यवधान) ये कहते हैं कि यह जो फैसला है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा।...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन बेंच बनाकर यह काम क्यों किया गया?...(व्यवधान) यह कोर्ट करप्शन के मामले में हमेशा मामला ठीक करती है,...(व्यवधान) लेकिन जो सामाजिक विषमता है, उसे मिटाने के लिए जब भी कोई कदम यहां से, पार्लियामेंट से उठता है, हमेशा ये लोग दांव-पेंच खेलकर उसे खत्म करने का काम करते हैं।...(व्यवधान) पार्लियामेंट न चले, पार्लियामेंट न चले, इसके लिए ये हमेशा उपाय करते हैं।...(व्यवधान) यह बहुत ही सेन्सिटिव मामला है।...(व्यवधान) 80 फीसदी लोग, जब मैं ऑल पार्टी मीटिंग में बोल रहा था तो सभी पार्टियों ने चिन्ता व्यक्त की और समर्थन व्यक्त किया और कहा कि तत्काल इसे स्कैप्र करो।...(व्यवधान) कोई रास्ता सरकार निकाले और कोई ठोस रास्ता निकाले, जिससे कि सारे लोगों को राहत मिल सके।...(व्यवधान)

कपिल सिब्बल साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सदियों से मारे हुए लोग हैं। ...(व्यवधान) आप एक तरफ भूख का इलाज करते हैं, ...(व्यवधान) पेट भरने का इलाज कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका मान-सम्मान, इज्जत, हैसियत को गिराने का काम हो रहा है।...(व्यवधान) इसलिए यह सारा मामला, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सरकार को कान्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट लाकर इसे नलीफाई करना चाहिए या कोई रास्ता निकलना चाहिए।...(व्यवधान) इंदिरा साहनी केस को 12 साल से न हमारी सरकार ने माना और न आपकी सरकार ने माना।...(व्यवधान) उसी का बहाना बनाकर इन्होंने मशवरा दिया था, इन्होंने इम्पोज्ड अपॉन कर दिया...(व्यवधान) इसका मतलब है कि आप डरते नहीं,...(व्यवधान) स्टेट गवर्नमेंट को, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को और यह केस सिर्फ एम्स का था,...(व्यवधान) लेकिन इसको चारों तरफ की संस्थाओं में, साइंस में, टैक्नॉलाजी में, सभी चीजों में, सबमें इन्हें स्कैप्र कर दिया।...(व्यवधान)

महोदया, अभी आपने हल्ले में मुझे बोलने को कह दिया, लेकिन इस पर एक कारगर बहस होनी चाहिए और यह कारगर बहस जब तक नहीं होगी, तब तक मामला साफ नहीं होगा।...(व्यवधान) मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सारी पार्टियों के जो कमजोर तबके के लोग हैं, वे सब दुखी, बैचेन और परेशान हैं।...(व्यवधान) इसलिए मेरी आपसे विनती है, सरकार से मुझे कहना है कि कान्स्टीट्यूशन में अमेंडमेंट लाइये और इस तरह का इंतजाम कीजिए कि अदालतें इस तरह का काम न करें।...(व्यवधान) टांग लगाने का काम न करें।...(व्यवधान) ये अल्तमस कबीर, चीफ जस्टिस, रिटायर होने वाले थे, उन्होंने शाम के अंधेरे में यह फैसला दे दिया...(व्यवधान) अंधेरे में यह फैसला दे दिया।...(व्यवधान) यह कंटंपरेरी अखबार में कहीं नहीं आया।...(व्यवधान)

मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि ये वंचित लोग हैं, बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने लड़कर यह हक लिया है।...(व्यवधान) इन्हें यह हक पार्लियामेंट से मिला है।...(व्यवधान) इस हाथ से पार्लियामेंट ने दिया है और उधर के हाथ से इसे छीन लिया है।...(व्यवधान) इसलिए मेरी आपसे विनती और अपील है कि इस पर फुल डिस्कशन कराइये।...(व्यवधान) आज...(व्यवधान) मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन इसकी बहुत सी चीजें हम...(व्यवधान) बोलते हैं।...(व्यवधान) जिस तरह से यह जजमैंट हुआ है, इसमें सिर्फ एक जजमैंट नहीं है। इसमें चारों-पांचों जजमैंट को मैंने देखा। ...(व्यवधान) इसमें कोई दूसरा डिपार्टमैंट नहीं था, केवल एम्स का मामला था। क्यों उस मामले को रोककर रखा? ...(व्यवधान) यह जो बात कर रहे हैं, इस पर सिफारिश करके इस काम को कर देना चाहिए था। मेरी आपसे विनती है कि इस पर कोई न कोई बहस का रास्ता आप बनाइए जिससे हम अच्छे से अपनी बात को कह सकें। यही मेरी आपसे विनती है। आज जो हमारी सभा है, हमारा जो सदन है, इसके सामने सबसे महत्वपूर्ण 80 फीसदी लोगों के हक और हकूक का यह मामला है, न्याय का मामला है, आर्थिक और सामाजिक विषमता का मामला है। आर्थिक और सामाजिक विषमता एक साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस मामले पर आप आधे घंटे की बहस करा दीजिए जिससे यह बात साफ हो जाए।

अध्यक्ष महोदया : श्री पी.एल.पुनिया,

डॉ.िकरीट प्रेमजीभाई सोलंकी,

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल,

श्री अर्जुन राम मेघवाल एवं

डॉ. वीरेन्द्र कुमार के नाम श्री शरद यादव द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध किये जाते हैं।

...(*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : अध्यक्ष महोदया, माननीय शरद यादव जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है।...(व्यवधान) इस बारे में हम भी कहना चाहते हैं कि बहुत संघर्षों के बाद समाज के दबे, कुचले, पिछड़े और उपेक्षित लोगों को आगे बढ़ाने का एक फैसला लिया गया। यह फैसला सर्वसम्मति से हुआ था, चाहे इधर दल के हों, चाहे उधर दल के हों।...(व्यवधान) यह आरक्षण जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया गया, यह सभी की सहमति से हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। जिसके कारण बहुत परेशानी और बेचैनी है।...(व्यवधान) इससे ऐसा माहौल बनेगा, जिससे संघर्ष होगा और पूरे देश में लोग संघर्ष करेंगे।...(व्यवधान) अभी बहुत अच्छी तरह से यह बात नहीं पहुंच पायी है। जब जनता में पूरी तरह यह बात पहुंचेगी तो आपके सामने एक और समस्या पैदा होगी।...(व्यवधान) हम सरकार से यह चाहते हैं कि वह तत्काल...(व्यवधान) इसी सत्र में लाए और उस आदेश को निरस्त करे। ऐसा हुआ है और इस सदन में बहुत से ऐसे मामले आए हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी निरस्त किया गया है।...(व्यवधान) यह बहुत गम्भीर मामला है। इस संघर्ष में सभी वर्ग के लोग खड़े होंगे। कोई भी वर्ग चाहे वह अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, चाहे दलित हो।...(व्यवधान) गरीबों को आगे लाने के लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया ने सबसे पहले यह सवाल आजादी के बाद उठाया था। उसके बाद देश के सभी बड़े-बड़े नेता एक हो गए, चाहे यह दल हो, चाहे यह दल हो, चाहे वह दल हो।...(व्यवधान) यह आरक्षण सर्वसम्मति से हुआ था। ...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, जो उपेक्षित लोग हैं, क्या वह चपरासी ही रहेंगे, झाड़ू ही लगाएंगे। यह साजिश है।...(व्यवधान) क्या हम लोग झाड़ू लगाने के लिए ही हैं? आप पिछड़े लोगों से, दलितों से झाड़ू लगवाइए, सफाई करवाइए, कपड़े धुलवाइए।...(व्यवधान) क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा? हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं, चपरासी बनिए, चौकीदार बनिए और ज्यादा से ज्यादा छोटे काम उसे दिए जाएंगे।...(व्यवधान) अब वह ऊंची नौकरियों में नहीं जाएंगे। आज हम कहना चाहते हैं कि आप हिसाब लगा लीजिए कि ऊंची नौकरियों में दलित और पिछड़े लोगों की संख्या डेढ़ या दो परसेंट है।...(व्यवधान) जबकि देश में इनकी संख्या जनसंख्या का 54 परसेंट है। 54 परसेंट में से डेढ़-दो परसेंट है। इससे ज्यादा अन्याय और कोई नहीं हो सकता है।...(व्यवधान) इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि कमल नाथ जी, इसको तत्काल लाइए।...(व्यवधान) इस आदेश को लोक सभा में लाकर न्यायपालिका के निर्णय को निरस्त कराइए।...(व्यवधान) अगर आप नष्ट नहीं कराएंगे तो आप भी इसमें शामिल माने जाएंगे।...(व्यवधान) आपका यह अधिकार है।...(व्यवधान) सरकार बड़ी है, सदन बड़ा है।...(व्यवधान) सदन से बड़ी न्यायपालिका नहीं है।...(व्यवधान) न्यायपालिका को जो अधिकार दिए गए हैं, वह इसी सदन ने दिए हैं,...(व्यवधान) संविधान निर्माताओं ने दिए हैं।...(व्यवधान) इसलिए इसे गंभीरता से लीजिए ताकि आने वाले समय में देश के सामने इसके गंभीर परिणाम न हों।...(व्यवधान) ये पहले हो चुके हैं। ...(व्यवधान) आप सब माननीय हैं,...(व्यवधान) इसलिए यह सब खत्म किया जा रहा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, हमारी अपील है कि आप सरकार को भी कहिए...(व्यवधान) सरकार में बैठे लोगों से कहिए।...(व्यवधान) यह मामला कोई एक व्यक्ति का नहीं है,...(व्यवधान) एक वर्ग का नहीं है।...(व्यवधान) यह देश का सवाल है,...(व्यवधान) देश के लोगों का सवाल है।...(व्यवधान) इसलिए इसमें आप भी पहल कीजिए।...(व्यवधान) मैं न्यायपालिका का जो निर्णय है, उसका कठोर रूप से विरोध करता हूं।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): धन्यवाद स्पीकर मैडम, आज माननीय शरद जी ने जो प्रस्ताव लाया है।...(व्यवधान) पहली अगस्त को ऑल पार्टी मीटिंग में सवाल आए थे...(व्यवधान) और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान) पहली बार जब एम्स में ...(व्यवधान) जहां आज़ादी के बाद पहली बार एस.सी., एस.टी., ओबीसी के लोगों को प्रोमोशन देने के लिए पोस्ट क्रियेट की गयी...(व्यवधान) कोर्ट द्वारा उसे रोक दिया गया।...(व्यवधान) हम आप से स्पष्ट कहना चाहते हैं कि...(व्यवधान) हमारी पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने जब एस.सी., एस.टी. के प्रोमोशन का मामला राज्य सभा में लाया था,...(व्यवधान) वहां से पास होने के बाद अगर वह लोक सभा में भी पास हो गया होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके का आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती।...(व्यवधान)

मैडम स्पीकर, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरीके से बार-बार सरकार और कोर्ट के बीच में जो आशंका पैदा हो रही है...(व्यवधान) देश में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग सशंकित हैं, ...(व्यवधान) और एम्स के नाम पर पूरे हिन्दुस्तान में टेक्नीकल और विशिष्टता रखने वाले पद का आरक्षण समाप्त करने की जो सोची-समझी रणनीति है, ...(व्यवधान) मैं चाहता हूं कि इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए...(व्यवधान) और सरकार से मिल कर इसका कोई-न-कोई समाधान निकालना चाहिए। ...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri P.L. Punia. He is speaking on this subject.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I will come back to you.

...(*Interruptions*)

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया।...(व्यवधान) आदरणीय शरद यादव जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस पर विस्तार से चर्चा की है। ...(व्यवधान) ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है,...(व्यवधान) वह रिट पेटीशन वर्ष 2002 की है।...(व्यवधान) निवर्तमान चीफ जस्टिस श्री अल्तमस कबीर, जो अभी रिटायर हुए हैं,...(व्यवधान) उन्होंने अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन फैसला किया है।...(व्यवधान) मैं यह बताना चाहूंगा कि मुझे पता लगा कि आखिरी हफ़्ते में इस मामले में सुनवाई शुरू होने वाली है और इस में कुछ घपला होने वाला है।...(व्यवधान) मैं न्याय मंत्री के पास गया था ...(व्यवधान) और उन से आग्रह किया था कि आखिरी दस दिनों के अंदर कोई बहस नहीं हो सकती, ...(व्यवधान) वह बहस पूरी नहीं हो सकती, फैसला नहीं हो सकता।...(व्यवधान) इसलिए सरकार की तरफ से निवेदन किया जाए कि इस मामले में कोई भी कार्रवाई न की जाए और सुनवाई न की जाए।...(व्यवधान) लेकिन वह नहीं हो पाया।...(व्यवधान) जो भी है, फैसला आया है। ...(व्यवधान) इस फैसले में ताज्जुब की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल सुप्रीम कोर्ट के अनेक जजमेंट्स का हवाला दिया है, ...(व्यवधान) इन्द्रा

साहनी केस के बारे में बोला है, एम. नागराज केस के बारे में बोला है, जगदीश शरण केस के बारे में बोला है,...(व्यवधान) प्रदीप जैन और प्रीति श्रीवास्तव केस के बारे में बोला है।...(व्यवधान) उन्होंने पांच जजों की बेंच और इन्द्रा साहनी के नौ जजों की बेंच का उल्लेख किया है।...(व्यवधान) उन्होंने कहा है कि हम उन से संबद्ध करते हैं ...(व्यवधान) लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि आरक्षण मुद्दे पर जिस पार्लियामेंट ने अनेक कंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट किए हैं, उनका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ...(व्यवधान)

महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पांच लोग बैठ कर देश का भविष्य तय करेंगे ...(व्यवधान) या पूरी जनता का, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाली जो पार्लियामेंट यहां बैठी है, ...(व्यवधान) वह उसका भविष्य तय करेगी?...(व्यवधान)

आर्टीकल 341 और 342 में स्पष्ट उल्लेख है, शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स की सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड की लिस्ट है। जब तक वे लिस्ट में हैं, वे बैकवर्ड माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तरह-तरह की व्याख्याएं दी जा रही हैं। आर्टीकल 341 और 342 के बारे में बगैर कुछ कहे हुए, बगैर जानकारी किए हुए बैकवर्डनैस के बारे में वे व्याख्या करते हैं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बारे में और रिजर्वेशन के बारे में 77वां अमेंडमेंट पास हुआ है, 85वें अमेंडमेंट को सन् 1992 से लागू किया गया। जब इन्द्रा साहनी केस में फैसला हुआ, उसी डेट से उसको लागू किया गया। इसका कहीं उल्लेख नहीं है। ...(व्यवधान) एनडीए सरकार और यूपीए सरकार में भी कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट हुए। इस जजमेंट में उनका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ...(व्यवधान) ये बड़े शर्म की बात है, पार्लियामेंट में हम देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया, वे भी उस संविधान से बंधे हैं।...(व्यवधान)

हम सुप्रीम कोर्ट को भी बताना चाहते हैं, वह भी संविधान के अंदर है, संविधान के ऊपर नहीं है। उन्होंने संविधान की किसी भी बात के ऊपर यह नहीं कहा कि अल्ट्रा वायर्स है, बल्कि संविधान के संशोधनों में के बारे में एम. नागराज केस में व्याख्या दी है। ...(व्यवधान) उन्होंने एक नागराज निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा है कि रिजर्वेशन के बारे में जितने भी कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, ...(व्यवधान) वे कांस्टीट्यूशनली वेलिड हैं।...(व्यवधान) सभी कांस्टीट्यूशनली वेलिड अमेंडमेंट हैं,...(व्यवधान) उनके विरूद्ध जाकर व्याख्या देना पूरी तरह से गलत है। ...(व्यवधान) जहां तक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात है, आप पता करिए कि वे जज साहब कहां पर, किस से इलाज करा रहे थे।...(व्यवधान) कौन पेटिशनर है और क्या उनकी सांठ-गांठ है, यह पहले से तय था कि इस मामले में खराब फैसला आने वाला है। यह हमको मालूम था, इसलिए हमने आशंका व्यक्त की थी। इसलिए मैंने मंत्री जी को भी स्पष्ट रूप से कहा था कि इस मामले में हस्तक्षेप कर सुनवाई न होने दें । ...(व्यवधान)

आपसे निवेदन है कि शरद यादव जी और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो बात कही, इसका संज्ञान लिया जाए।...(व्यवधान) सरकार के द्वारा प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो व्याख्या दी है, उसको निरस्त करने की कार्यवाही की जाए।